

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 19/7/2012

क्रमांक एफ 37-5/2011/20-3 :: रिट याचिका क्रमांक 18771/2011(एस) में पारित आदेश दिनांक 9.7.2012 के पालन में शासन आदेश दिनांक 22.7.2011 को संशोधित करते हुए माह दिसम्बर, 2010 से पांचवे वेतनमान के अनुरूप अनुदान प्राप्त अशा.शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर दिसम्बर, 2010 (मूल वेतन+वेतन वृद्धि+महंगाई भत्ता+गृह भाडा भत्ता) से मुगतान करने की स्वीकृति पूर्व उल्लेखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है ।

उक्त संकेत में आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांक, अनुदान / बी/ 10/ 11/ 420, भोपाल दिनांक 29.08.2011 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जात है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बी.एस.डॉवर)

अवर सचिव

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 19/7/12

पृष्ठा क्रमांक 37-5/2011/20-3

- 1- अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर, म.प्र.
 - 2- रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर, म.प्र.
 - 3- सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म.प्र. ।
 - 4- महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
 - 5- आयुक्त लोक शिक्षण/ राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल, म.प्र. ।
 - 6- समस्त कलेक्टर, म0प्र0 ।
 - 7- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ।
 - 8- समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. ।
 - 9- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. ।
 - 10- संयुक्त संचालक, विधि प्रकोष्ठ, लोक शिक्षण जबलपुर/ इंदौर/ ग्वालियर, म.प्र. ।
 - 11- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, (विधि प्रकोष्ठ) स्कूल शिक्षा, मंत्रालय, म.प्र. ।
- की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अवर सचिव


म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल-462023
फोन नम्बर-0755-2583650 फैक्स नम्बर-0755-2583651

पृष्ठा.क्रमांक-अनुदान/बी/1/11-12/419
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 20/7/2012

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन ।
2. अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश मान. उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र. ।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
4. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. आयुक्त लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल म.प्र. ।
6. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश ।
8. समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश ।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश
10. संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ठ लोक शिक्षण जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश